की पालना में पक्ष के वास्ते ...जवाब प्रार्थना पत्र
दिनांक ...10/1/25... को पेश हो।

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

वकील वादी / पैरोकार उपस्थित।

1/25 — मासिक आदेश दिनांक....................
की पालना में पक्ष के वास्ते ...जवाब प्रार्थना पत्र
दिनांक 14/1/25 ...... को पेश हो।

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

1/1/25 — वकील वादी / पैरोकार उपरोक्त पैरोकार [illegible] उपरोक्त जवाब पेश नहीं [illegible] जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली पर बहस सुनी गई वादी [illegible] दिनांक 14/2/25 को पेश हो।

SDM

14/2/25 — वकील वादी उपस्थित। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने के कारण स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल हुआ। दाखिल दफ्तर हो। नकल [illegible]

SDM
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

ायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

ास्व वाद संख्याः– 3 / 42 / 2023 दायर दिनांकः–21 / 12 / 2023

सीएमएस नं0ः–2023 / 657 निर्णय दिनांकः– 14 / 02 / 2025

बउनवान

1. शान्ति देवी पत्नी स्व0 ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी सामोली तहसील कठूमर जिला अलवर।.

–– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर ।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा– 1956

उपस्थितिः–1.श्री धनश्याम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

2.पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर अप्रार्थी

–ःआदेशः–

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 न0 466 रकबा 0.19 हैक्ट0, ,457 रकबा 0.30 हैक्ट, 475, 476, 501, 502, 503, 504, 512, 513, 517, 518, 536, 537, 542, 775, 776, 777, 516 वाके ग्राम सामोली तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीया की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम शांति औमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी सामोली है प्रार्थीया के पति औमप्रकाश के स्वर्गवास हो जाने पर उनका विरासत इन्तकाल संख्या 883, वाके ग्राम सामोली दर्ज करते समय राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

कर्मचारियान ने प्रार्थीया के सही नाम की जानकारी किये बिना ही बिना सुने बिना बुलाये बिना नोटिस दिये खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्ध तरीके से शांति देवी के स्थान पर संतो देवी दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थीया का सही नाम शांति देवी ही दर्ज होना चाहिये लेकिन राजस्व कर्मचारियान ने उक्त आराजी पर प्रार्थीया का नाम शांति देवी के स्थान पर संतो देवी गलत दर्ज कर रखा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर तहसील कठूमर पर प्रार्थीया संतो देवी पत्नी स्व0 ओमप्रकाश के स्थान पर शांति देवी पत्नी ओमप्रकाश दर्ज कर हाल राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं करना चाहा गया। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जामबन्दी हाल सं0 2074 से 2077 वाके ग्राम सामोली व नकल छायाप्रति पेन्शन कागज एवं नकल सत्यप्रतिलिपी नामान्तकरण संख्या 883 एवं नकल छायाप्रति आधार कार्ड , नकल पेन कार्ड, नकल छायाप्रति जनआधार कार्ड, नकल बैंक पास बुक एवं शपथ पत्र आदि दस्तावेज पेश किये गये जो जो शामिल मिसल किये गये।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीया का नाम संतो देवी पत्नी स्व0 ओमप्रकाश के स्थान

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

,पर शांति देवी पत्नी ओमप्रकाश है। 'जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध पहचान के समस्त दस्तावेजात से होती है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विद्वान पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने पर यह पाया कि प्रार्थीया का नाम संतो देवी पत्नी स्व0 ओमप्रकाश के स्थान पर शांति देवी पत्नी ओमप्रकाश है। राजस्व रेकार्ड में इस तरह की दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 'राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर आ0 ख0 न0 466 रकबा 0.19 हैक्ट0, 457 रकबा 0.30 हैक्ट, 475, 476, 501, 502, 503, 504, 512, 513, 517, 518, 536, 537, 542, 775, 776, 777, 516 वाके ग्राम सामोली तहसील कठूमर में प्रार्थीया का नाम संतो देवी पत्नी स्व0 ओमप्रकाश के स्थान पर शांति देवी पत्नी ओमप्रकाश दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेचीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०